Subject :- Sociology Date :- 26/07/2020
Class :- B.A-III (H) Paper :- 7th
Topic :- सफेदपोश अपराध तथा इसके कारण
By :- Dr. Shyamanand Choudhary
Guest Teacher, Marwari College, Darbhanga
Online Study material No :- 126

सफेदपोश अपराध

सफेदपोश अपराध की अवधारणा को व्यवस्थित रूप से प्रतिपादित करने का श्रेय अमेरिकन समाजशास्त्री तथा अपराधशास्त्री Edwin H. Sutherland को है। यहाँ यह लिखना अप्रासंगिक नहीं प्रतीत होता है कि सदरलैंड से भी पहले इस अवधारणा का सांकेतिक प्रयोग कुछ लेखकों ने अपनी रचनाओं में किया था। उदाहरणार्थ, इस अपराध की अवधारणा का प्रथम प्रयोग E. A. Ross ने 1907 ई० में किया और तत्पश्चात् अलबर्ट मॉरिस (Albert Morris) ने सन् 1934 में इसका समर्थन किया, किंतु सन् 1939 में सदरलैंड की व्याख्या के उपरान्त ही यह अवधारणा व्यापक हुई। V. Aubert ने अपने एक लेख 'White Collar Crime & Social Structure' में इस बात की चर्चा किया है कि सफेद-पोश अपराध साधारण अपराध से बहुत रूपों में भिन्न है।

Aubert के अनुसार "सफेदपोश अपराध साधारण अपराध से दंड की दृष्टि से भिन्न नहीं है बल्कि अपराधी के पद, धनता की सहनशीलता और समाज के अन्य समूहों से अपराधी को प्राप्त होने वाली सहायता की दृष्टि से भी भिन्न है।"

सदरलैंड ने अपराधियों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया है :-

(i) निम्नवर्गीय अपराधी → ऐसे अपराधी गरीब एवं निम्न वर्ग से सम्बन्धित होते हैं और शीघ्र ही पकड़ लिए जाते हैं।

(ii) सफेदपोश अपराधी → ऐसे अपराधी प्रतिष्ठित एवं उच्च वर्ग से सम्बन्धित होते हैं। वे अपने पेशा के दौरान कानूनों का उल्लंघन करते हैं और आर्थिक लाभ के लिए अपराध करते हैं। वे अपनी आर्थिक और राजनीतिक उच्च प्रतिष्ठा के कारण पुलिस और न्यायालय की पकड़ में नहीं आते हैं और सजा पाने से बच जाते हैं। चूंकी ये अपराध समाज के उच्च वर्ग के लोगों द्वारा किए जाते हैं जो सफेद आवरण में ढके होते हैं अतः इस प्रकार के अपराधियों को श्वेत वसन अपराधी, सफेदपोश अपराधी या अभिजात अपराधी कहा जाता है।

श्वेत वसन अपराध को परिभाषित करते हुए Sutherland ने लिखा है "श्वेत वसन अपराध प्रतिष्ठित तथा उच्च सामाजिक प्रस्थिति धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा उसके व्यवसाय के संदर्भ में किए गए

Scanned with CamScanner

अपराध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है" इस परिभाषा से यह पता चलता है कि सफेद पोश अपराध भी एक प्रकार का अपराध ही है। एक तरफ यह परिभाषा सफेद पोश अपराध की अवधारणा का चित्र प्रस्तुत करता है तो दूसरी तरफ अन्य अपराधों से इसकी भिन्नता को भी स्पष्ट करता है। सदरलैंड के अनुसार समाज में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त किए हुए व्यक्तियों का अपराध मोटा-मोटी तौर पर सफेद पोश अपराध के नाम से जाना जाता है। सदरलैंड ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि उच्च प्रस्थिति के व्यक्तियों के केवल उसी अपराध को सफेदपोश अपराध कहा जा सकता है जिसे वे अपने पेशा के दौरान आर्थिक लाभ के लिए करते हैं। उद्योगपतियों या औद्योगिक संगठनों, व्यावसायिकों, प्रशासकों तथा प्रबन्धक, चिकित्सकों, प्राध्यापकों, इंजिनियरों आदि द्वारा अपने पेशा के दौरान किए गए अपराध सफेदपोश अपराध के उदाहरण हैं। सदरलैंड के अनुसार "यदि कोई दलाल अपनी पत्नि के प्रेमी को गोली से मार डालता है तो यह सफेदपोश अपराध नहीं है, किंतु यदि वह अपने व्यापार के सम्बन्ध में कानून का उल्लंघन करता है तथा दोषी सिद्ध किया जाता है तो वह सफेदपोश अपराध है"

(If a broker shoots his wife's lover that is not a white-collar crime, but if he violates the law & convicted in connection with his business is a white collar criminal)

सदरलैंड ने कुछ अपराधों की सूची प्रस्तुत किया जिसे उच्च प्रस्थिति के लोग करते हैं किंतु उन्हें सफेदपोश अपराध नहीं समझा जाना चाहिए क्योंकी वे उनके व्यावसायिक कार्य प्रणाली के अंग नहीं हैं। उदाहरणस्वरूप समाज के उच्च वर्ग के सदस्यों द्वारा किया जाने वाला हत्या, व्यभिचार और नशे से सम्बन्धित अधिकांश अपराधों को सफेदपोश अपराध के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकी ये सभी अपराध उनके व्यावसायिक कार्य प्रणाली के अंग नहीं हैं।

सदरलैंड का मत है कि यद्यपि सफेदपोश अपराधियों की संख्या अधिक या कम मात्रा में विश्व के प्रायः सभी देशों में पायी जाती है, किंतु इस अपराध की आवृत्ति (Frequency) पूँजीवादी देशों में अपेक्षाकृत बहुत अधिक पायी जाती है तथापि पुलिसतंत्रीय प्रतिवेदनों में इनकी सूची प्राप्त नहीं होती है। सदरलैंड ने इस तथ्य पर

Scanned with CamScanner

(3)

प्रकाश डालते हुए अपनी पुस्तक "Criminology" में लिखा है "White-collar crimes ... are extremely widespread, but an index of their frequency is not found in Police report" इसका प्रधान कारण यह है कि ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से प्रायः इतना सशक्त होते हैं कि अपराध का यथोचित पता नहीं लग पाता। इनका पता लगाना कठिन होता है क्योंकी ये उच्च प्रतिष्ठा की आड़ में किए जाते हैं। पता लगने पर भी ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार करना अत्यंत कठिन कार्य सिद्ध होता है। यदि वे गिरफ्तार किए भी जाते हैं तो वे स्वयं कानून की प्रकृति को बदल देते हैं क्योंकि वे प्रायः न्यायालयों के न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, प्रशासकों तथा विधायकों के समतुल्य होते हैं। परिणामस्वरूप न्यायालयों द्वारा उन्हें न तो अपराधी सिद्ध किया जाता है और न ही सामान्य जनता में उन्हें अपराधी कहने का साहस होता है क्योंकी सामान्य जनता को ऐसे अपराधियों के आपराधिक कृत्यों के बारे में या तो जानकारी नहीं होती है और यदि होती भी है तो बहुत ही कम। सफेदपोश अपराधियों के ढंग विधान सामान्य अपराधियों से भिन्न होते हैं। शायद इसी कारण से वे लोक लांछना से बच जाते हैं, जबकि वे अपराधी व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा सामाजिक संस्थाओं पर परिणामों की दृष्टि से किसी अन्य प्रकार के अपराधियों से समाज के लिए बहुत अधिक खतरनाक हैं।

आलोचना (Criticism)

कुछ विद्वानों ने सदरलैंड के श्वेतवसन अपराध की आलोचना की है। उदाहरणार्थ — जार्ज बोल्ड सफेदपोश अपराध की आलोचना करते हुए कहा है कि इस अवधारणा की कहीं भी कोई परिभाषा नहीं मिलती है और यह अब भी अस्पष्ट, अनिश्चित, संदेहयुक्त तथा विवादास्पद है। वाल्टर रेकलेस कहते हैं कि इस अवधारणा में सैद्धान्तिक महत्व की कोई बात दिखाई नहीं देती है। इसी तरह कालडवेल ने इस अवधारणा की आलोचना करते हुए लिखा है कि यह गैर कानूनी शब्द है तथा किसी भी व्यक्ति को उच्च सामाजिक-आर्थिक वर्ग का सदस्य किस मापदंड के आधार पर माना जाए, यह भी स्पष्ट नहीं है। न्यूमैन के अनुसार जिस प्रकार के अपराध श्वेत वसन धारी व्यक्ति करते हैं, वैसे ही निम्न वर्ग के लोगों

Scanned with CamScanner

द्वारा भी किए जाते हैं तो उन्हें श्वेत वसन अपराध क्यों नहीं माना जाता। गिलबर्ट ग्रीस के अनुसार सदरलैंड द्वारा प्रतिपादित सफेदपोश की अवधारणा बहुत सीमित है क्योंकि इसमें उन अपराधों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता जिनका व्यक्ति के व्यवसाय से सम्बन्ध नहीं होता है जैसे - झूठी गायकर विवरणी तैयार करना, हानि के लिए झूठा दावा पेश करना, व्यक्तिगत दिखावा में पूँजी को छिपाना, बहुत सी वस्तुएँ उधार पर लेना किंतु उस उधार को चुकाने की कोई इच्छा या क्षमता न होना।

सफेदपोश अपराध के कारण

सफेदपोश अपराध के निम्नलिखित कारण हैं:—

(i) दंड का अभाव → सफेदपोश अपराधी उच्च प्रस्थिति के व्यक्ति होते हैं। उनकी पहुँच राज्य तथा केन्द्र स्तर के नेताओं तक रहती है। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहने के कारण वे पुलिस पदाधिकारियों तथा न्यायाधीशों को भी अपने पक्ष में कर लेते हैं तथा दंड पाने से बच जाते हैं। इस सम्बन्ध में सदरलैंड ने भी लिखा है "Prosecution for this kind of crime frequency is avoided because of the political or financial importance of the parties concerned." चूंकी सफेदपोश अपराधी अक्सर सजा से मुक्त रहते हैं इसलिए कानूनों का उल्लंघन करते समय कोई भय नहीं रहता। ऐसी प्रस्थिति में सफेदपोश अपराध को बढ़ावा प्राप्त होता है।

(ii) कानूनों की अपर्याप्तता → कानूनों की अस्पष्टता, दोहरे अर्थ एवं कमियों भी सफेदपोश अपराधियों को दंड से बचा लेते हैं। कानून की अपर्याप्तता एवं अस्पष्टता के कारण ही करों में चोरी, रिश्वत एवं अनैतिकता को प्रोत्साहन मिलता है।

(iii) क्षतिग्रस्त व्यक्तियों की निष्क्रियता → जो व्यक्ति श्वेतवसन अपराध के कारण ठगे जाते हैं या क्षति उठाते हैं वे कानूनी झंझटों से बचने के लिए कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करते। अधिकांश लोग कानून की लम्बी प्रक्रिया, न्याय प्राप्त होने में विलम्ब एवं धन खर्च करने में असमर्थ होने के कारण भी कानूनी उल्लंघन में उलझना नहीं चाहता। इसका लाभ भी श्वेत वसन अपराधी उठाते हैं और वे अपराध करने में नहीं हिचकिचाते हैं।

Scanned with CamScanner

(iv) भौतिकवादी मनोवृत्तियाँ → वर्तमान समय में लोगों में भौतिकवादी मनोवृत्ति बढ़ी है। प्रत्येक व्यक्ति अवैध तरीकों से भी धन कमाकर अधिकाधिक भौतिक सुख प्राप्त करना चाहता है। आज व्यक्ति की प्रस्थिति का मूल्यांकन भी उसकी सम्पत्ति के आधार पर किया जा रहा है। आज अधिकांश लोगों के जीवन का लक्ष्य शारीरिक एवं ऐन्द्रिय सुख-सुविधाएँ प्राप्त करना ही रह गया है जिन्हें जुटाने में समाजविरोधी एवं अपराधी विधियों का सहारा तक भी लिया जाता है।

(v) राजनीतिक कारक → राजनीतिक अस्थिरता भी सफेदपोश अपराध को जन्म देती है। राजनीतिक आज एक पेशा बन गयी है। अनेक राजनेता, मंत्री, एवं जनप्रतिनिधि अपने स्वार्थ के लिए तस्करों, चोरों, डाकुओं, स्मगलरों आदि को शरण देते हैं। उनका सम्बन्ध पूँजीपतियों और अन्तर्राष्ट्रीय अपराधी गिरोहों से होता है। पकड़े जाने पर राजनेता अपराधियों को छुड़ाने में मदद करते हैं और समय आने पर अपराधियों से स्वयं सहयोग लेते हैं। राजनीतिक उथल-पुथल के कारण भी अपराध को बढ़ावा प्राप्त होती है।

(vi) संगठित अपराध → वर्तमान समय में अपराधी कार्यों में लिप्त बड़े-बड़े संगठन पाए जाते हैं जिनमें कई राजनेता, व्यापारी, उच्च अधिकारी, तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति सम्मिलित रहते हैं। जब सभी उच्च अधिकारी घूस लेते हों तो ईमानदार व्यक्ति उनमें टिक नहीं सकता। जब भी किसी बेईमान व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है तो अपराधी लोग संगठित होकर उसका विरोध करते हैं। इस प्रकार से सफेदपोश अपराधियों को अधिक अपराध करने का प्रोत्साहन मिलता है।

(vii) आकर्षक विज्ञापन → आजकल लोग अपनी वस्तुओं का विज्ञापन इतने आकर्षक ढंग से करते हैं कि सामान्य व्यक्ति उनके जाल में फंस जाते हैं और वे ठग लिए जाते हैं।

(viii) सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्य → श्वेत वसन अपराध का सम्बन्ध सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों से भी है। लोग प्रतिष्ठा की हानि के भय से परंपरागत मूल्यों को बनाए रखने के लिए गलत तरीकों को अपनाते हैं। उदाहरणार्थ – दहेज देना परम्परागत सामाजिक मूल्यों की दृष्टि से अच्छा माना गया है। दुहेज की राशि जुटाने के लिए व्यक्ति गलत साधनों द्वारा धनकमाता है और अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखता है। पूँजीपति लोग एक तरफ दान देकर स्वयं मंदिर बनवाकर समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं तो दूसरी तरफ उच्च प्रतिष्ठा की आड़ में अवैध तरीकों से धन को बढ़ाते

Scanned with CamScanner

है। हमारे सामाजिक मूल्य ही ऐसे है जिससे सफेदपोश अपराध को बढ़ावा मिलता है।

(ix) प्राथमिक नियंत्रण का अभाव → किसी भी प्रकार के अपराध को बढ़ावा देने में नियंत्रण का अभाव प्रमुख कारण है। वर्तमान समय में परिवार, पड़ोस, मित्रों, नातेदारों, जाति सदस्यों एवं ग्राम समुदाय के लोगों का अपने सदस्यों पर अनौपचारिक नियंत्रण शिथिल हुआ है, धर्म एवं ईश्वर में आस्था कम हुई है तथा परम्पराओं, प्रथाओं एवं रीति-रीवाजों की पकड़ शिथिल हुई है। इसी तरह नैतिकता, इमानदारी तथा सच्चरित्रता का ह्रास हुआ है और लोगों में स्वतंत्रता तथा मनमानी करने की प्रवृति बढ़ी है। फलस्वरूप सफेदपोश अपराधों में वृद्धि हुई है।

(x) लापरवाही → कई लोग इतने लापरवाह होते हैं कि बिना दस्तावेजों को पढ़े ही हस्ताक्षर कर देते हैं। उन्हे इकरार नामे की सामान्य बातें समझा दी जाती हैं और मूल बातें रह जाती है जो बाद में उनके लिए हानिप्रद सिद्ध होती है।

S. N. Choudhary
Marwari College
L.N.M.U